

## कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

॥ आदेश ॥

क्रमांक / 1044 / एडीएम स्टेनो / 2020

जांजगीर, दिनांक 29 मई, 2020

भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशानुसार जॉजगीर –चाम्पा जिले में कार्यालयीन आदेश क्रमांक 4382/एडीएम/ 2020 जॉजगीर, दिनांक 08.05.2020 के द्वारा प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11:00 बजे से सोमवार सुबह 06:00 बजे तक सप्ताह में कम से कम 02 दिन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) एवं समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को प्रतिबंधित किए जाने का आदेश लागू किया गया था। राज्य शासन के निर्देशानुसार आदेश क्रमांक 4382/एडीएम/ 2020 जॉजगीर, दिनांक 08.05.2020 को एतद् निरस्त किया जाता है।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, छत्तीसगढ़ " सी –ब्लॉक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर का आदेश क्रमांक/170 /तक./टी.सी./2020 नवा रायपुर, दिनांक 27/05/2020 के तहत आम जनता की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों के भीतर एवं अंतर –जिला (एक जिले से दूसरे जिले) आवागमन के लिए टैक्सी/ ऑटो के दिनांक 28 मई 2020 से परिचालन हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन अनुमति दी जाती है :-

- 1/ जिले के भीतर टैक्सी/ऑटो के परिचालन नियमानुसार हो सकेगा।
- 2/ अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन एवं आवागमन हेतु ऑनलाईन ई-पास प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। CG COVID- 19 E-Pass एप्लीकेशन के माध्यम से यात्रीगण नियमानुसार ई-पास हेतु आवेदन कर सकते हैं। वेबलिंग <http://epass.cgCovid19.in> के माध्यम से भी मोबाईल नंबर से रजिस्टर कर अंतर-जिला आवागमन के लिए ई-पास हेतु आवेदन किया जा सकता है।
- 3/ ऑनलाईन ई-पास के बिना अंतर-जिला टैक्सी/ऑटो परिचालन की अनुमति नहीं होगी। बिना अनुमति परिचालन की दशा में कार्यवाही की जा सकेगी।
- 4/ टैक्सी/ऑटो में यात्रा के दौरान अनिवार्य रूप से चेहरे पर मास्क धारण करना, स्वच्छता एवं सोशल- फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा कोरोना नियंत्रण हेतु जारी अन्य एडवाइजरी का कड़ाई से पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

आज दिनांक 29.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है।



जिला मजिस्ट्रेट

जिला जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.)

पृ.क्रमांक / 1045 / एडीएम स्टेनो / 2020  
प्रतिलिपि :-

जांजगीर, दिनांक 29 मई, 2020

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग.शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस महानिरीक्षक, बिलासपुर क्षेत्र बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
6. पुलिस अधीक्षक, जांजगीर-चांपा की ओर पालनार्थ एवं कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करे।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जांजगीर-चांपा की ओर सादर सूचनार्थ एवं पालनार्थ सम्प्रेषित।
8. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावे।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सभी उल्लेखित स्थानों पर मुनादी करावे।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
11. उप संचालक जन संपर्क, जांजगीर-चांपा को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
12. उपसंचालक पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ/पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
13. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका/नगर पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. सर्व ग्राम पंचायत जिला जांजगीर-चांपा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



जिला मजिस्ट्रेट  
जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.)